फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री चेतनानन्द — **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा.अधि. — **पत्रावली संख्या : 24/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। राजपेरोकार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1056 में से नया नम्बर 1485/1056 बना जो प्रार्थी के नाम दर्ज हैं परन्तु राजस्व नक्शें में तरमीम की हुई नहीं है जिसे राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर आराजी नम्बर 1500/1056, 1503/1056, 1781/1056, 1782/1056, 1485/1056 को भी सही तरमीम किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। रिपोर्ट अनुसार मूल आराजी नम्बर 1056 भूमि के नये नम्बर 1500/1056, 1503/1056, 1781/1056, 1782/1056, 1485/1056 होकर खातेदारों की नक्शें में तरमीम मौके अनुसार नहीं होकर एक दूसरे की आराजी पर तरमीम कर दी गई हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा भी पेश किया हैं। चूंकि राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 1485/1056 एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1500/1056, 1503/1056, 1781/1056, 1782/1056 भूमि को भी राजस्व नक्शें में तहसीलदार मावली से प्राप्त प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तरमीम हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:[illegible]2:39 IST
Reason: SelfAttested